

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई व बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

30.1.18

न्यायालय उपायुक्त, राँची
विविध वाद सं० - 45/2016-¹⁵⁻

गोपाल सिंह मानकी

- आवेदक।

-बनाम्-

राज्य एवं मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू झारखण्ड स्टील लिमिटेड वैग० - विपक्षी।

आदेश

आवेदक (1) गोपाल सिंह मानकी, (2) त्रिवेणी सिंह मुण्डा, (3) मनी नाथ सिंह मुण्डा सभी पिता स्व० लक्ष्मी कान्त सिंह मुण्डा, (4) श्याम सुन्दर सिंह मानकी, (5) उदय नाथ सिंह मानकी दोनों स्व० फुट्टु सिंह मानकी, (6) दुर्गा प्रसाद सिंह मानकी पिता स्व० प्रहलाद सिंह मानकी एवं (7) हरिहर सिंह मुण्डा पिता दुर्गा प्रसाद मानकी सभी जाति मुण्डा (अनुसूचित जनजाति) निवासी - चौकाहातु, थाना सोनाहातु, जिला राँची ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के तहत मेसर्स जे.एस. डब्ल्यू झारखण्ड स्टील लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, श्री रामनाथ चौबे पिता स्व० एस० एन० चौबे एवं राजीव कुमार गुप्ता पिता स्व० श्रीचन्द्र गुप्ता एवं नवीन कुमार औझा पिता स्व० शैलेन्द्र कुमार औझा एवं श्री बसवराज दलगडे पिता स्व० महादेवप्पा दलगडे, बी० नं० 236, भूतल, रोड सं० 03, अशोक नगर, जिला राँची के साथ

ग्राम	थाना सं०	खेवट सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़)
चौकाहातु	3	3/1	483	1005	2.42
कुल रकबा -					2.42 एकड़

भूमि बिक्री करने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र दिया है, इसी के आधार पर इस विविध वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा आवेदन पत्र की जाँच भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू से कराई गई। प्रस्तुत मामले में भूमि सुधार उप-समाहर्ता बुण्डू, राँची ने पत्रांक 33/रा० दिनांक 11.01.2018 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन

(Signature)

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश गई कारवा, बारे में टिप्प तारीख के साथ
1	2	3
	<p>समर्पित किया है जो इस अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का आवलोकन किया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि खतियान में रैयत कीनु मॉझी वगैहर के नाम पर दर्ज है। खेवटदार दलु चटर्जी खेवट सं0 32 दर्ज है। खेवट की भूमि का किस्म ब्रहमोत्तर दर्ज है। खेवट सं0 32 की भूमि खेवट सं0 3/1 खेवटदार से प्राप्त था। ओवदकगण खेवट सं0 3/1 के वंशज के हैसियत से बिक्री करना चाहते हैं। आवेदन ने शपथ पत्र सं0 684 दिनांक 09.02.2016 के कंडिका 04 में वर्णित किया है कि भूमि मुण्डारी खुटकट्टी जमीन्दार (विक्रेता) के दखल में है, जबकि भौतिक सत्यापन में दखल कब्जा खतियानी रैयत का है।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मुण्डारी खुटकट्टी के जमीन्दार द्वारा लिखित आपत्ति दी गई है कि :- कम्पनी द्वारा रैयतो को 90 प्रतिशत एवं जमीन्दार को .10 प्रतिशत दिया जाता है। और रैयतो को अपना जमीन का हक नहीं बना कर जमीन्दार को सर्वे सर्वा बनाया गया है। कम्पनी भूमि के क्रय विक्रय के क्रम में परमिशन एवं रजिस्ट्री पट्टा में खतियानी रैयत के वंशजों को पक्षकार नहीं बनाया जा रहा है, जबकि भूमि का दखल उन्ही के पास निहित है साथ ही जमीन का कुल मुल्य का 90 प्रतिशत राशि रैयतो को दिया जा रहा है। कम्पनी द्वारा अभी तक लगभग हजारों एकड़ जमीन ^{जमीन} क्रय की गई है, परन्तु भूमि पर किसी प्रकार का दखल नहीं लिया गया है और न ही जनहित के दृष्टिकोण से क्रय भूमि पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया गया है। कम्पनी द्वारा दस वर्ष पूर्व निर्धारित दर पर ही क्रय किया जा रहा है। जबकि सरकारी दर हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कम्पनी द्वारा पुराने दर पर ही भुगतान किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए नयी दर पर क्रय करना चाहिए। मुण्डारी खुटकट्टी जमीन्दार पराम्परा के अनुसार वंश में बड़ा होता है वह स्वतः जमीन्दार (मालिक) बनता है और रैयत का अधिकार नहीं बनता है।</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन द्वारा छो0 का0</p>	



संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई व बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	<p>अधिनियम की धारा 49/241 के तहत प्रस्तुत भूमि बिक्री अनुमति वाद को खारीज करने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू के प्रतिवेदन द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आवेदकगण द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के तहत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><i>[Signature]</i> 30/1/18 उपायुक्त, राँची।</p>	<p><i>[Signature]</i> 30/1/18 उपायुक्त, राँची।</p>